

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/UP/WATER/150514/2021

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित आरक्षित वनभूमि 0.408 हेक्टेयर वनभूमि 6.2793 हेक्टेयर कुल 6.6873 हेक्टेयर वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति
- उत्तर प्रदेश
- झांसी
- झांसी वन प्रभाग, झांसी
- 6.6873 हेक्टेयर
- (आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि) दृष्टिया इज कवर्ड अन्दर वर्किंग सर्किल वर्किंग प्लान
- 0.30
- शून्य
- भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
- शून्य
- प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभ्यारण जैव मण्डल बाघ रिंजव हाथी कारीडोर का भाग नहीं है (प्रमाण पत्र संलग्न है)
- नहीं है

83

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरें के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हॉ/नहीं यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र, आस—पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्डों का आकार
 - (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र, और आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप
 - (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि
 - (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय
 - (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।

82

12	विभाग / जिला प्रोफाईल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	—	5054 वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	—	33422.920 है0
(iii)	मामलों की सं0 सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	—	13 (तेरह) क्षेत्रफल—188.23732 है0
(iv)	1980 से जिला / प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण		
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—	98.099 है0
	(ख) बनेतर भूमि पर	—	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति		
	(क) वन भूमि पर	—	94.03 है0
	(ख) बनेतर भूमि पर	—	734.209 है0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश		प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि → 02-06-2022

स्थान — झाँसी

हस्ताक्षर :

नाम : (डी०एन० सिंह)

सरकारी मोहर: प्रभागीय वनाधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

